हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 19 अगस्त, 2010

संख्याः वि0स0/1–38/2010.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 17) जो दिनांक 19 अगस्त, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव ।

2010 का विधेयक संख्यांक 17

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक ।**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह प्रथम जनवरी, 2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

नई धारा 3क. का अन्तःस्थापन।

2. हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''3क. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति.–राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का संशोधन या प्रतिस्थापन कर सकेगी और ऐसा होने पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।''।

अनुसूची का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:–

''अनुसूची

(धारा 3 देखें)

न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न काडर (संवर्गों) के लिए वेतनमानः

(1) सिविल न्यायाधीश (जूनीयर डिवीजन),–

(क) प्रारम्भिक वेतनमानः 27700–770–33090–920–40540–1080–44770 रुपए।

(ख) पांच वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमानः 33090–920–40540–1080–45850 रुपए।

(ग) अन्य पांच वर्ष की सेवा के पश्चात् द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमानः 39530–920–40450–1080–49090–1230–54010 रुपए।

2. सिविल न्यायाधीश (सीनीयर डिवीजन),–

(क) प्रारम्भिक वेतनमानः 39530–920–40450–1080–49090–1230–54010 रुपए।

(ख) पांच वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमानः 43690–1080–49090–1230–56470 रुपए।

(ग) अन्य पांच वर्ष की सेवा के पश्चात् द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमानः 51550–1230–58930–1380–63070 रुपए।

3. जिला न्यायाधीश संवर्ग,–

(क) प्रारम्भिक वेतनमानः 51550–1230–58930–1380–63070 रुपए।

(ख) चयन ग्रेड (काडर के पच्चीस प्रतिशत अधिकारियों को उपलब्ध): 57700–1230–58930–1380–67210–1540–70290 रुपए।

(ग) सुपरटाइम वेतनमान (काडर के दस प्रतिशत अधिकारियों को उपलब्ध): 70290–1540–76450 रुपए।''।

2010 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्ति।

4. (1) हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2010 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शेट्टी वेतन आयोग की सिफारिशों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आई0ए0 नम्बर 244 इन डब्ल्यू पी (सी) नं0 1022/1989 ऑल इण्डिया जजिज एशोसिएशन एण्ड अदर्ज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में तारीख 7–4–2010 तथा 4–5–2010 को दिए गए निर्देशों की अनुपालना में तथा न्यायमूर्ति ई0 पदमनाभन (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय आयोग की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 13) से संलग्न अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है। विधान सभा सत्र में नहीं थी और मामले की अत्यावश्यकता के दृष्टिगत अध्यादेश प्रख्यापित किया गया तथा जिसमें राज्य सरकार को अनुसूची को संशोधित करने के लिए सशक्त बनाने हेतू उपबन्ध किया गया। इसलिए सी0डब्ल्यू0पी0 न0. 1022/1989 ऑल इण्डिया ज्यूडिशियल ऑफिसरज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करने के लिए तथा वेतन को भी उनके पद की हैसियत, गरिमा तथा दायित्व के अनुरूप करने के लिए और विद्यमान सापेक्षताओं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय के दृष्टिगत वेतन प्रगति नीति में एकरूपता लाने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

विधान सभा सत्र में नहीं थी और मामला अति आवश्यक था। इसलिए महामहिम राज्यपाल द्वारा तारीख 29–06–2010 को हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 2) प्रख्यापित किया गया था और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 1–7–2010 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः 2010

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 3 के अधिनियमित होने के परिणामस्वरूप 1–1–2006 से 31–3–2010 तक के इक्यावन मास के बकाया के संदाय के लिए राजकोष से लगभग चौदह करोड़ चौवन लाख रूपए का वार्षिक अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा। प्रतिमास वित्तीय विवक्षता लगभग अट्ठाईस लाख पचहत्तर हजार रुपए की होगी और प्रतिवर्ष वित्तीय विवक्षता, लगभग तीन करोड़ पैंतालीस लाख रूपए की होगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को अधिनियम से संलग्न अनुसूची को संशोधित या प्रतिस्थापित करने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः गृह–बी(बी) 7–1/2009)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2010 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

BILL NO. 17 OF 2010

THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY, ALLOWANCES AND CONDITIONS OF SERVICES) AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Judicial Officers(Pay, Allowances and Conditions of Services) Act, 2003(Act No. 13 of 2003) .

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty -first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commence-ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Amendment Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on 1st day of January, 2006.

Insertion of new section 3A.

2. After section 3 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Act, 2003 (hereinafter referred to as the "principal Act", the following new section shall be inserted, namely :— 13 of 2003

"3-A. Power to amend Schedule.- The State Government may, by notification published in the Official Gazette, amend or substitute the Schedule, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.".

Substitution of SCHEDULE.

3. For the existing Schedule appended to the principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE"
(*See* section 3)

The Pay Scales for different cadres of the Judicial Offierrs :

1. Civil Judge (Junior Division),—

(a) Initial Scale: Rs.27,700-770-33090-920- 40540-1080-44770.

(b) First stage Assured Career Progression Scale, after five years of service:

Rs.33090-920-40540-1080-45850.

(c) Second stage Assured Career Progression Scale, after another five years of service:

Rs.39530-920-40450-1080-49090-1230-54010.

2. Civil Judge (Senior Division),—

(a) Initial Scale: Rs.39530-920-40450-1080-49090-1230-54010.

(b) First stage Assured Career Progression Scale, after five years of service:

Rs. 43690-1080-49090-1230-56470.

(c) Second stage Assured Career Progression Scale, after another five years of service:

Rs. 51550-1230-58930-1380-63070.

3. District Judges Cadre,—

(a) Initial Scale: Rs. 51550-1230-58930-1380-63070.

(b) Selection Grade: (Available to 25% Officers of the cadre):

Rs.57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290.

(c) Super Time Scale (Available to 10% Officers of the cadre) : Rs.70290-1540-76450.

Repeal of Ordinance No. 2 and of 2010 Saving.

4. (1) The Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Amendment Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In compliance to the recommendations of the Shetty Pay Commission and directions of the Hon'ble Supreme Court dated 7-4-2010 & 4-5-2010 in I. A. No. 244 in W.P.(C) No. 1022/1989, All India Judges Association and Others Vs. Union of India and others and recommendations of one man Commission headed by Justice E. Padmanabhan (Retd.). It is considered necessary to amend the Schedule appended to the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay Allowances and conditions of Services) Act, 2003 (Act No. 13 of 2003). The Legislative Assembly was not in session and a therefore, keeping in the view the urgency of the matter, the Ordinance was promulgated and a provision have been made vide which the State Government is empowered to amend the Schedule.

Thus in order to comply with the orders of Hon'ble Supreme Court in CWP No. 1022/1989, All India Judges Association vs. Union of India & Ors. and also to make the salary commensurate with the status, dignity and the responsibility of their office, and to bring uniformity in the pay progression policy, keeping in view the prevailing relativities and the judicial pronouncement by the Hon'ble Supreme Court, it has been decided to amend the Act ibid suitably.

Since, the Legislative Assembly was not in session and the matter was urgent, therefore, The Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Amendment Ordinance, 2010 (Ordinance No. 2 of 2010) was promolugated by Her Excellency the Governor of Himachal Pradesh on 29-06-2010 and the same was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 01-07-2010. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular legislation without any modification.

2. This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

PREM KUMAR DHUMAL,
CHIEF MINISTER.

SHIMLA:
The , 2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 and 3 of the Bill, if enacted, shall result in the annual additional recurring expenditure on account of payment of arrears *w.e.f.* 1-1-2006 to 31-03-2010 for 51 months to Rs. 14, 54,00,000/- approximately. The financial implication per month shall be Rs. 28,75,000/- approximately and financial implication annually shall be Rs. 3,45,00,000/- approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to amend or substitute the Schedule to the Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. Home-B(B)7-1/2009)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Amendment Bill, 2010, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.